UPJL240002352016

Presented on : 27-01-2016
Registered on : 27-01-2016
Decided on : --
Duration :

न्यायालयः अपर सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।
मूलवाद सं0 16/2016

मईग्यादीन वादी

बनाम

राजकुमार आदि प्रतिवादीगण

दिनांक 25.03.2021

प्रार्थी 1/1 सन्तोष कुमार पुत्र मईग्यादीन द्वारा प्रार्थनापत्र कागज संख्या 38ग2 मय शपथपत्र 39ग2 दिनांक 20.05.2019 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी मईग्यादीन की मृत्यु दिनांक 07.03.2019 को हो गयी थी। प्रार्थी मईग्यादीन का विधिक वारिस है। ऐसी स्थिति में मईग्यादीन के बाद 1/1 सन्तोष कुमार लिखने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 47ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र दिनांकित 20.05.2019 विधि एवं तथ्यो के विपरीत, पोषणीय नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। सन्तोष कुमार मइयादीन का पुत्र नही है और न ही विधिक प्रतिनिधि है। सन्तोष कुमार बालादीन का पुत्र है। प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न सूची 49ग1 से परिवार रजिस्टर कागज संख्या 50ग1 व वसीयत 50ग2 लगायत 50ग6 के अवलोकन से विदित है कि वादी मईग्यादीन की मृत्यु दिनांक 07.03.2019 को हो गयी थी। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2019 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा अन्दर म्याद है।

उक्त प्रार्थनापत्र औपचारिक प्रकृति का है एवं वाद को अग्रसारित करने के लिए स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त संशोधन न तो वाद की प्रकृति को बदलता है और न ही कोई नया वाद का कारण उत्पन्न करता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र 38ग2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 38ग2 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी प्रस्तावित संशोधन नियमानुसार अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 13.04.2021 को प्रस्तुत हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
कालपी, जिला जालौन।